


—:आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:—

कार्यालय के आदेश क्रमांक 1174-87 दिनांक 24.06.2019 से जारी आन्तरिक अंकेक्षण कार्यक्रम में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-

क्र० सं०	अंकेक्षण दल प्रभारी/ सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	आन्तरिक अंकेक्षण अवधि	आदेशित कार्यक्रम	सशोधित कार्यक्रम
1	श्री अशोक शर्मा, AAO I मो० नं० 8209505679 दल सदस्य - श्री दीप चन्द वर्मा, जोन मुख्यालय-जयपुर	संयुक्त निदेशक, जोन-कोटा	04/12 से 03/19	22.07.19 से 05.08.19	26.07.19 से 09.08.19
2	श्री नेतराम, AAO I मो० नं० 8949408410 दल सदस्य श्री सुनील झिंगणिया, श्रीमती जूली माहेश्वरी, क० लेखाकार जोन-जयपुर प्रथम	ब्लॉक मु. चि. अधिकारी, आमेर	04/13 से 03/19	18.07.19 से 05.08.19	26.07.19 से 23.08.19
3	श्री गुलाबचन्द कुम्हार, (अतिरिक्त प्रभार) AAO I मो० नं० 9414605185 दल सदस्य श्री संजय कुमार मेघवाल, विजयलक्ष्मी, क० लेखाकार जोन-बीकानेर द्वितीय	बीसीएमओ, कोलायत (बीकानेर)	04/11 से 03/19	07.8.19 से 06.09.19	-
		सीएचसी, कोलायत (बीकानेर)	04/12 से 03/19	07.09.19 से 21.09.19	-
		बीसीएमओ, नोखा (बीकानेर)	04/16 से 03/19	23.09.19 से 30.09.19	-

अतः निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(10) वित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा जारी आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य निर्धारित अवधि में सम्पादित कर जाच रिपोर्ट निर्धारित समय पर अधोहरताक्षरकर्ता को भिजवायेगे।



6/8/19

वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक.

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जा.का./2019/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) एनएचएम राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/बीकानेर।
4. श्री अशोक कुमार शर्मा, AAO I, श्री दीपचन्द वर्मा, क० लेखाकार, मुख्यालय-जयपुर को पालनार्थ।
5. श्री नेतराम, AAO I, श्री सुनील झिंगणिया/श्रीमती जूली माहेश्वरी, क० लेखाकार, जोन-जयपुर को पालनार्थ।
6. श्री गुलाब चन्द कुम्हार, AAO I, श्री संजय कुमार मेघवाल, श्रीमती विजयलक्ष्मी, क० लेखाकार, जोन-बीकानेर को पालनार्थ।
7. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आमेर (जयपुर)/कोलायत (बीकानेर)/नोखा (बीकानेर)।
8. चि० अधिकारी प्रभारी, सामु० स्वा० केन्द्र, कोलायत (बीकानेर)।
9. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।


6/8/19

वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर